न्यायालयः- सिविल न्यायाधीश सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— रेणु कुमारी गोयल, आर०जे०एस०

नम्बरी दीवानी वाद संख्या :— 03/2023

सीएनआर नंबर :— RJDH150000032023

1. सुरेशचन्द पुत्र विद्याराम, उम्र-60 साल,
2. महेशचन्द पुत्र विद्याराम, उम्र-55 साल,
3. देवेन्द्र पुत्र विद्याराम, उम्र-47 साल,
4. अशोक पुत्र विद्याराम, उम्र-41 साल,
5. संजय पुत्र विद्याराम, उम्र-35 साल,
6. श्रीकान्त पुत्र विद्याराम, उम्र-30 साल,
   निवासीयान बसईनवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर (राज०)
7. मीरादेवी पुत्री विद्याराम पत्नी केशवदेव कटारा, उम्र-58 साल, निवासी बसईनवाब हाल निवासी खेरली जिला धौलपुर (राज०)
   जरिये मुख्त्यार अशोक पुत्र विद्याराम, उम्र-41 साल, निवासीयान बसईनवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बसईनवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
2. राज० सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, सैंपऊ जिला धौलपुर।
3. श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, उप तहसील बसईनवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 जामा दीवानी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा, वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांकः- 06.05.2026

1. प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार से हैं कि 1. वादीगण भारत के नागरिक हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण में कोई भी नाबालिग नहीं है एवं दावे के अयोग्य नहीं है। 2. वादीगण के सह-स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद नौहरा व आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में स्थित है। 3. वादीगण की उक्त जायदाद

आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में रास्ते के सहारे वादीगण का नौहरा बना हुआ है, जिसमें वादीगण अपना ईंधन, लकड़ी इत्यादि रखते हैं तथा भैंस बांधते हैं। उक्त जायदाद आबादी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो रही है। उक्त जायदाद वादीगण की पैतृक है, जो वादीगण के पिता श्री विद्याराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन वादीगण को प्राप्त हुई है। वादीगण की माता श्रीमती उर्मिला का भी स्वर्गवास दिनांक 22.01.2023 को हो चुका है। वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात में रास्ते के सहारे स्थित जायदाद खाली जगह भैंस बांधने, ईंधन, कन्डा रखने आदि के उपयोग ली जाकर नौहरे के रूप में उपयोग हो रही है तथा वादीगण उक्त समस्त जायदाद के एकल रूप से स्वामी व आधिपत्यधारी रहे हैं। 4. वादीगण के पिता श्री विद्याराम का स्वर्गवास हो चुका है एवं वादीगण के पिताजी की मृत्यु के उपरान्त वादीगण उपरोक्त जायदाद के बतौर उत्तराधिकारी सह स्वामी व आधिपत्यधारी रहे हैं। 5. वादीगण के उक्त आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर के सहारे स्थित खसरा नम्बर 2715 रकवा 0.1265 गै.मु. रास्ता की भूमि है, जिसमें वादीगण व अन्य लोगों के जायदाद, आराजीयात को आने-जाने का कच्चा रास्ता विगत कई वर्षों से है, जिसमें वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा रोड का निर्माण कराये जाने हेतु मिट्टी डलवा दी गई है तथा उक्त रोड का निर्माण कार्य चालू है। 6. गै. मु. रास्ता के आराजी खसरा नम्बर 2715 पर अतिक्रमियों द्वारा रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती गलत रूप से वादीगण की खातेदारी के आराजी खसरा नम्बरान 2716 व 2717 में वादीगण की सहमति के बिना वादीगण के नौहरा उपयोग की भूमि में मिट्टी डलवा दी है तथा उक्त रोड का निर्माण अवैध रूप से वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की खातेदारी की जमीन में करना चाहते हैं, जिस हेतु प्रतिवादीगण ने वादीगण की जमीन में सफेदी डालकर निशानात भी मौके पर लगा दिये हैं। इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा विगत दो माह से प्रतिवादीगण के कार्यालयों में एवं विभिन्न विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी आराजी की नाप कराने हेतु एवं रास्ते की भूमि को चिन्हित कराने हेतु निवेदन करता रहा है, जिस पर तहसीलदार महोदय सैंपऊ द्वारा तीन बार नाप कराई जा चुकी है, लेकिन उक्त नाप की कोई जांच रिपोर्ट वादीगण को प्रदान नहीं की और ना ही मौके पर उचित चिन्ह अंकित किये तथा वादीगण के नौहरे की भूमि को खुर्द-बुर्द कर व वादीगण की फसल को खुर्द-बुर्द कर जगह-जगह गलत तरीके से मिट्टी डलवा दी है तथा अतिक्रमणकारियों से गै. मु. रास्ते की भूमि को मुक्त नही कराया गया है और वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर रोड निकालने हेतु अवैध कार्यवाही कर रहे हैं। 7. दिनांक 01.03.2023 को प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त जायदाद पर पहुंचे, तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त रोड का निर्माण वादीगण की खातेदारी की भूमि में न कराकर रास्ते की वास्तविक जमीन पर उक्त रोड का निर्माण कराया जावे, जिस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को स्पष्ट धमकी दी कि उक्त रोड का निर्माण तुम्हारी खातेदारी की जमीन में कराकर ही रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को असीम क्षति होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करा पाने

के अधिकारी हैं। 8. प्रतिवादीगण लोकसेवक, सरकारी कर्मचारी/अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. के तहत नोटिस/सूचना दिया जाना आवश्यक है, लेकिन उक्त प्रकरण में यदि प्रतिवादीगण को नोटिस दिये गये तथा नोटिस की म्याद समाप्त होने तक यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रोड का निर्माण करा दिया गया तो दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा, इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर दावा न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा रहा है। 9. विवाद का कारण दिनांक 01.03.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से पैदा होकर हक नालिस दावा हाजा वादीगण को हासिल हुआ है। दावा अन्दर अवधि पेश है। 10. उपरोक्त जायदाद गांव बसईनवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में स्थित है, तथा धमकी बसईनबाव में दी है, एवं विवाद का कारण बसईनबाव में पैदा हुआ है, इसलिए न्यायालय श्रीमान को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 11. वाद पत्र का मूल्यांकन वगर्ज अधिकार समाअत व अदायगी कोर्ट फीस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा 400/- रूपये पर किया जाता है, जिस पर कोर्ट फीस एवं तलवाना नियमानुसार चस्पा है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री व हक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार सादर फरमाये जाने का निवेदन कियाः-

(अ) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, प्रतिनिधि, व दीगर एजेन्सियों के माध्यम से वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे व स्वामित्व की जायदाद नौहरा, आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर की भूमि में कोई रोड निर्माण नही करायें तथा मिट्टी नही डलवाये तथा वादीगण के उक्त जायदाद के उपभोग व उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ब) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स) अन्य अनुतोष जो उचित हों, वादीगण को प्रदान फरमाया जावे।

2. प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है ना ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित आया। वादीगण के सम्मन तामील होने के बावजूद प्रतिवादीगण स्वयं या जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 24.08.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हस्तगत वाद में वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू-01 अशोक के रूप में स्वयं का तथा पीडब्ल्यू-02 गीतम सिंह का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में छायाप्रति नकल नक्शा प्रदर्श-01, जमाबंदी खसरा संख्या 2716 बसईनवाब प्रदर्श-02, जमाबंदी खसरा संख्या 2717 बसईनवाब प्रदर्श-03, मुख्त्यारनामा खास प्रदर्श-04 को प्रदर्शित करवाया गया है।

4. बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

6. उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन कर न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु बनना पाया जाता है:-

1. **क्या वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, प्रतिनिधि, व दीगर एजेन्सियों के माध्यम से वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे व स्वामित्व की जायदाद नौहरा, आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर की भूमि में कोई रोड निर्माण नही करायें तथा मिट्टी नही डलवाये तथा वादीगण के उक्त जायदाद के उपभोग व उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े?**

.....वादीगण

2. **अनुतोष ?**

7. प्रकरण में वादीगण के द्वारा पेश किये गये अभिवचनों के आधार पर इस प्रकरण में न्यायालय का बिन्दुवार विनिश्चय निम्न प्रकार है:-

विचारणीय बिंदू संख्या 01:–

8. क्या वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, प्रतिनिधि, व दीगर एजेन्सियों के माध्यम से वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे व स्वामित्व की जायदाद नौहरा, आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर की भूमि में कोई रोड निर्माण नही करायें तथा मिट्टी नही डलवाये तथा वादीगण के उक्त जायदाद के उपभोग व उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े?

9. उक्त विचारणीय बिंदु के संदर्भ में बहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण सुरेशचन्द वगैरा ने अपने वाद पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष गवाह पी.डब्ल्यू-01 अशोक के रूप में स्वयं को तथा पीडब्ल्यू-02 गीतम सिंह को परीक्षित करवाकर मुख्य परीक्षण के समर्थन में पृथक्-पृथक् शपथ पत्र पेश किए हैं। न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए वादी पी.डब्ल्यू-01 अशोक ने अपने सशपथ कथनों में वादीगण के सह-स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद नौहरा व आराजी खसरा नंबर 2716 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनवाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में स्थित होना तथा उनकी उक्त जायदाद के रास्ते क सहारे उन वादीगण का नौहरा बना हआ होना,

जिसमें वादीगण अपना ईंधन, लकडी इत्यादि रखते होना तथा भैंस बांधते होना कथन किया है तथा जायदाद आबादी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो रही होना एवं उक्त जायदाद वादीगण की पैतृक होना, जो वादीगण के पिता श्री विद्याराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन वादीगण को प्राप्त हुई है तथा वादीगण की माता श्रीमती उर्मिला का भी स्वर्गवास दिनांक 22.01.2023 को हो चुका होना कथन किया है तथा वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात में रास्ते के सहारे स्थित जायदाद खाली जगह भैंस बांधने, ईंधन, कन्डा रखने आदि के उपयोग ली जाकर नौहरे के रूप में उपयोग हो रही होना तथा वादीगण उक्त समस्त जायदाद के एक रूप से स्वामी व आधिपत्यधारी रहे होना कथन किया है तथा वादीगण के पिता श्री विद्याराम का स्वर्गवास हो चुका होना एवं वादीगण के पिताजी की मृत्यु के उपरान्त वादीगण उपरोक्त जायदाद के बतौर उत्तराधिकारी सह स्वामी व आधिपत्यधारी रहे होना कथन किया है तथा वादीगण के उक्त आराजी भूमि के सहारे स्थित खसरा नंबर 2715 रकवा 0.1265 गै०मु० रास्ता की भूमि होना, जिसमें वादीगण व अन्य लोगों के जायदाद, आराजीयात को आने-जाने का कच्चा रास्ता विगत कई वर्षों से होना, जिसमें वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा रोड का निर्माण कराये जाने हेतु मिट्टी डलवा दी गई होना तथा उक्त रोड का निर्माण कार्य चालू होना कथन किया है तथा आगे गवाह ने कथन किया है कि गै०मु० रास्ता के आराजी खसरा नंबर 2715 पर अतिक्रमियों द्वारा रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती गलत रूप से वादीगण की खातेदारी के आराजी खसरा नंबरान 2716 व 2717 में वादीगण की सहमति के बिना वादीगण के नौहरा उपयोग की भूमि में मिट्टी डलवा दी है तथा उक्त रोड का निमार्ण अवैध रूप से वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की खातेदारी की जमीन में करना चाहते हैं, जिस हेतु प्रतिवादीगण ने वादीगण की जमीन में सफेदी डालकर निशानात भी मौके पर लगा दिये होना कथन किया है, इस संबंध में वादीगण द्वारा विगत दो माह से प्रतिवादीगण के कार्यालयों में एवं विभिन्न विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी आराजी की नाप कराने हेतु एवं रास्ते की भूमि को चिन्हित कराने हेतु निवेदन करता रहा होना, जिस पर तहसीलदार महोदय सैंपऊ द्वारा तीन बार नाप कराई जा चुकी होना, लेकिन उक्त नाप की कोई जांच रिपोर्ट वादीगण को प्रदान नहीं की होना और ना ही मौके पर उचित चिन्ह अंकित किये होना तथा वादीगण के नौहरे की भूमि को खुर्द-बुर्द कर व वादीगण की फसल को खुर्द-बुर्द कर जगह-जगह गलत तरीके से मिट्टी डलवा दी होना तथा अतिक्रमणकारियों से गै०मु० रास्ते की भूमि को मुक्त नहीं कराया गया होना और वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर रोड निकालने हेतु अवैध कार्यवाही कर रहे होना कथन किया है तथा दिनांक 01.03.2023 को प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त जायदाद पर पहुंचने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त रोड का निर्माण वादीगण की खातेदारी की भूमि में न कराकर रास्ते की वास्तविक जमीन पर उक्त रोड का निर्माण कराया जाने का निवेदन किए जाने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त रोड का निर्माण उनकी खातेदारी की जमीन में कराने को स्पष्ट धमकी दी होना कथन किया है। इसी प्रकार न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए अन्य गवाह पी.डब्ल्यू-02 गीतम सिंह ने अपने सशपथ कथनों में वह गांव बसईनवाब का निवासी होना तथा उनके गांव बसईनवाब के सुरेशचन्द, महेशचन्द, देवेन्द्र, अशोक, संजय, श्रीकान्त पुत्रगण श्री

विद्याराम को भलीभांति जानता होना तथा उक्त प्रकरण में विवादित स्थल उसने अच्छी तरह देखा होना, जहां सुरेशचन्द वगै० की जमीन, नौहरा बसईनवाब में स्थित होना, जिनकी जमीन, नौहरा के बगल से रास्ता सरकारी जमीन में कई वर्षों पुराना बना हआ होना, जो कच्चा रास्ता होना, जिस रास्ते से सुरेशचन्द वगै०, वे व गांव के अन्य लोग अपने खेतों की तरफ विगत कई वर्षों से बहुत पुराने समय से आते-जाते हैं, इसी रास्ते से आगे जाकर सरकारी कॉलेज भी बन रही है तथा सुरेशचन्द वगै० के खेत की दूसरी तरफ उक्त रास्ते की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अपने कच्चे, पक्के मकान बनाकर सरकारी रास्ते की जगह पर अवैध अतिक्रमण कर लिया होना, जिससे रास्ते की जगह कम रह गई होना कथन करता है तथा करीब डेढ साल पूर्व ग्राम पंचायत व तहसीलदार वगै० द्वारा इस कच्चे रास्ते को पक्का करने हेतु निर्माण कार्य शुरू किया होना तथा मिट्टी डलवाई तो सुरेशचन्द वगै० की जमीन में मिट्टी डलवा दी होना और रास्ता बनाने पर सुरेशचन्द वगै० ने आपत्ति की होना तथा न्यायालय में मुकदमा कर स्टे ले लिया होना कथन करता है तथा जो रास्ता कच्चा पुराने समय से बना हआ है, वह सुरेशचन्द वगै० की जमीन, नौहरा के बगल से होना, लेकिन अब जो रास्ता बनाया जा रहा था, वह सरकारी रास्ते की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लेने के कारण सुरेशचन्द वगै० की खाली जमीन, नौहरा में होकर डाला जा रहा होना तथा मौके पर पटवारी, कमिश्नर वगै० भी आये होना, जिन्होंने नाप तोल कर रास्ता बनाने हेतु मिट्टी सुरेशचन्द वगै० की जमीन में डाल देने का बताया होना तथा उस समय काऊी भीड होना तथा वह भी मौजूद होना कथन करता है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वादीगण को उनके द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। इस स्थिति में वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का खण्डन किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है ना ही वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का खण्डन हुआ है। वादीगण की उपर्युक्त साक्ष्य प्रतिवादीगण की साक्ष्य के अभाव में अकाट्य रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, मुख्य परीक्षा के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः विचारणीय बिन्दु संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष:-

10. प्रकरण में चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या 01 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया गया है। लिहाजा वादीगण अपने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वादीगण का वादपत्र एकपक्षीय रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

-: आदेश :-

11. अतः वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 जाप्ता दीवानी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, प्रतिनिधि, व दीगर एजेन्सियों के माध्यम से वादीगण के खातेदारी

एवं कब्जे व स्वामित्व की जायदाद नौहरा, आराजी खसरा नम्बर 2716 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकवा 0.3035 हैक्टेयर वाके गांव बसईनबाब-ए तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर की भूमि में कोई रोड निर्माण नही करायें तथा मिट्टी नहीं डलवायें तथा वादीगण के उक्त जायदाद के उपभोग व उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे। तदानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश, सैंपऊ

12. यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश, सैंपऊ

RAMKISHAN
Stenographer 3rd
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAMKISHAN
Date: 2026.05.06 12:31:04 +0530